



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-के.ए.-अ.-29062026-273931
CG-KA-E-29062026-273931

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3334]

नई दिल्ली, शनिवार, जून 27, 2026/ आषाढ 6, 1948

No. 3334]

NEW DELHI, SATURDAY, JUNE 27, 2026/ ASHADHA 6, 1948

रेल मंत्रालय

[दक्षिण पश्चिमी रेलवे (निर्माण संगठन)]

अधिसूचना

बेंगलुरु, 26 जून, 2026

का.आ. 3469(अ).— रेलवे एक्ट, 1989 (24 of 1989) (जिसे आगे "वह अधिनियम" कहा जाएगा) के खंड 20A के उप खंड (1) से मिली शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए, केंद्र सरकार, यह मानते हुए कि इसके साथ दिए गए अनुसूची में बताई गई ज़मीन एक पब्लिक मकसद के लिए ज़रूरी है, यानी, तनिसद्रा, बेंगलुरु, कर्नाटक में वंदे भारत शयनयान गाड़ी संरक्षण डिपो का निर्माण, साथ ही रख-रखाव की सुविधाएं, स्टेबलिंग लाइन, वर्कशॉप इंफ्रास्ट्रक्चर, यूटिलिटी सर्विस, अप्रोच रोड, सर्विस रोड और दूसरे रेलवे से जुड़े मकसद, इसके द्वारा ऐसी ज़मीन खरीदने का अपना आशय प्रकट करती है।

उक्त भूमि में रुचि रखने वाला कोई भी व्यक्ति आधिकारिक राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से तीस दिनों के भीतर उक्त अधिनियम की धारा 20डी की उपधारा (1) के तहत उपरोक्त उद्देश्य के लिए ऐसी भूमि के अधिग्रहण और उपयोग पर आपत्ति उठा सकता है।

ऐसी हर आपत्ति लिखित रूप में भूमि अधिग्रहण के लिए सक्षम प्राधिकरण (CALA), यानी स्पेशल भूमि अधिग्रहण अधिकारी, (SLAO), बेंगलुरु अर्बन, विश्वेश्वरैया टावर, 6 वां थल, बेंगलुरु को दी जाएगी, जिसमें इसके कारण बताए जाएंगे।

सक्षम प्राधिकरण आपत्ति करने वाले को खुद आकर या किसी कानूनी प्रैक्टिशनर के ज़रिए सुनवाई का मौका देगा और ऐसी सभी आपत्तियों को सुनने और ज़रूरी समझी जाने वाली आगे की जांच करने के बाद, ऑर्डर देकर, आपत्तियों को मंजूरी दिया जा सकता है या नामंजूर भी किया जा सकता है।

उक्त अधिनियम की धारा 20डी की उपधारा (2) के अन्तर्गत सक्षम प्राधिकारी द्वारा दिया गया कोई भी आदेश अंतिम होगा।

इस अधिसूचना के तहत आने वाली ज़मीन से जुड़े भूमि योजना और दूसरी जानकारी, इच्छुक लोगों के निरीक्षण के लिए भूमि अधिग्रहण सक्षम प्राधिकारी (CALA), विशेष भूमि अधिग्रहण अधिकारी (SLAO), बेंगलुरु ग्रामीण, विश्वेश्वरैया टॉवर, 6 वां थल, बेंगलुरु के कार्यालय में उपलब्ध हैं।

अनुसूची

विशेष रेलवे परियोजना, अर्थात् तनिसंद्रा, बेंगलुरु, कर्नाटक में बंदे भारत स्लीपर गाडियों के अनुरक्षण डिपो निर्माण के लिए, संरचना के साथ या बिना संरचना के, अधिग्रहण की जाने वाली ज़मीन का ब्यौरा निम्न प्रकार है :

क्रम संख्या	सर्वेक्षण / प्लॉट संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	क्षेत्र (स्थानीय इकाइयों में) (एजी-एएन)	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
01	2/6ए1	सूखा	निजी	0-20-00	0.2023
02	2/6ए2	सूखा	निजी	0-29-00	0.2934
03	2/6बी	सूखा	निजी	1-35-00	0.7588
04	84/6	सूखा	निजी	0-19-00	0.1922
05	101/1	सूखा	निजी	3-15-00	1.3658
06	101/2	सूखा	निजी	3-12-00	1.3355
07	102/2	सूखा	निजी	0-26-00	0.2630
08	102/3ए	सूखा	निजी	0-13-00	0.1315
09	102/3बी	सूखा	निजी	0-14-00	0.1416
10	1/1	सूखा	निजी	4-25-00	1.8717
11	1/2	सूखा	निजी	0-02-00	0.0202
12	26	सूखा	निजी	9-06-00	3.7029
13	6	सींची	निजी	7-20-00	3.0351
14	7	सूखा	निजी	1-23-00	0.6374
कुल				34-19-00	13.95

[फा.सं. डब्ल्यू.271/नि/बें छा/2026-27/भूमि वि रे प/1727]

प्रदीप पुरी, मुख्य इंजीनियर-III/निर्माण

MINISTRY OF RAILWAYS
[South Western Railway (Construction Organisation)]

NOTIFICATION

Bengaluru, the 26th June, 2026

S.O. 3469(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 20A of the Railways Act, 1989 (24 of 1989) (hereinafter referred to as "the said Act"), the Central Government, being satisfied that the land specified in the Schedule appended hereto is required for a public purpose, namely, Construction of Vande Bharat Sleeper Trains Maintenance Depot at Thanisandra, Bengaluru, Karnataka, together with maintenance facilities, stabling lines, workshop infrastructure, utility services, approach roads, service roads and other allied railway purposes, hereby declares its intention to acquire such land.

Any person interested in the said land may, within thirty days from the date of publication of this notification in the Official Gazette, object to the acquisition and use of such land for the aforesaid purpose under sub-section (1) of Section 20D of the said Act.

Every such objection shall be made in writing to the Competent Authority for Land Acquisition (CALA), namely the Special Land Acquisition Officer, (SLAO), Bengaluru Urban, Vishveshwaraiah Tower, 6th Floor, Bangalore setting out the grounds thereof. The Competent Authority shall give the objector an opportunity of being heard either in person or through a legal practitioner and may, after hearing all such objections and making such further inquiry as deemed necessary, by order, either allow or disallow the objections.

Any order made by the Competent Authority under sub-section (2) of Section 20D of the said Act shall be final.

The land plans and other particulars relating to the land covered under this notification are available for inspection by interested persons at the office of the Competent Authority for Land Acquisition (CALA), Special Land Acquisition Officer, (SLAO), Bengaluru Urban, Vishveshwaraiah Tower, 6th Floor, Bangalore

SCHEDULE

Brief description of the land proposed to be acquired, with or without structures, for the Special Railway Project namely Construction of Vande Bharat Sleeper Trains Maintenance Depot at Thanisandra, Bengaluru, Karnataka.

Sl. No	Survey / Plot No	Type of land	Nature of land	Area (in local Units (A-G-AN))	Area (in Hectares)
01	2/6A1	Dry	Private	0-20-00	0.2023
02	2/6A2	Dry	Private	0-29-00	0.2934
03	2/6B	Dry	Private	1-35-00	0.7588
04	84/6	Dry	Private	0-19-00	0.1922
05	101/1	Dry	Private	3-15-00	1.3658
06	101/2	Dry	Private	3-12-00	1.3355
07	102/2	Dry	Private	0-26-00	0.2630
08	102/3A	Dry	Private	0-13-00	0.1315
09	102/3B	Dry	Private	0-14-00	0.1416
10	1/1	Dry	Private	4-25-00	1.8717
11	1/2	Dry	Private	0-02-00	0.0202

12	26	Dry	Private	9-06-00	3.7029
13	6	Irrigated	Private	7-20-00	3.0351
14	7	Dry	Private	1-23-00	0.6374
Total				34-19-00	13.95

[F. No. W.271/CN/BNC/2026-27/Land SRP/1727]

PARDEEP PURI, Chief Engineer-III/Construction